

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-37/2023-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/2025

डा० सुशान्त किशोर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना का दिनांक-25.04.2021 से 20.07.2022 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-21.07.2022 से 01.01.2023 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

1.	दिनांक-25.04.2021 से 20.07.2022 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2.	दिनांक-21.07.2022 से 01.01.2023 तक	
i.	दिनांक-21.07.2022 से 08.09.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-09.09.2022 से 14.09.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)
iii.	दिनांक-15.09.2022 से 30.12.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iv.	दिनांक-31.12.2022 से 01.01.2023 तक	- पद ग्रहण काल के रूप में।

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-37/2023- 778(2) पटना, दिनांक 20/5 /2025
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/ निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० सुशान्त किशोर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना /प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव